भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5364
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2019

अल्पसंख्यकों में बेरोजगारी

5364. कुंवर दानिश अलीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की बेहतरी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार की अल्पसंख्यकों विशेषकर बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा इसके 66वें दौर (जुलाई 2009–जून–2010), 68वें दौर (जुलाई 2011–जून 2012) द्वारा आयोजित पिछले रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों तथा जुलाई 2017– जून 2018 के दौरान आयोजित आवधिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) से प्राप्त मुख्य धार्मिक समूहों (हिंदू, इस्लाम, ईसाई और सिक्ख) से संबंधित व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति अर्थात् मुख्य स्थिति + अनुषंगी स्थिति (पीएस+एसएस) में बेरोजगारी दर का विवरण उसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित क्रमशः **अनुलग्नक I** और **II** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जनगणना 2011 के अनुसार रोजगाररत जनसंख्या और गैर–रोजगाररत जनसंख्या का धर्म–वार विवरण निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है : http://www.censusindia.gov.in/2011census/Religion_pca/RL-0000.xlsx

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए अधिसूचित अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए बहु–शाखी कार्यनीति अपनाई है जिसका उद्देश्य उनका शैक्षिक सशक्तिकरण, कौशल विकास करना, अवसंरचनात्मक सहायता देना आदि है। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैं:

शैक्षिक सशक्तिकरण

(i) छात्रवृत्ति योजनाएं– मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति।

(ii) नया सवेरा – अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों और अभ्यर्थियों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि करने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पा सकें।

(iii) नई उड़ान– संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने की योजना ताकि उन्हें संघ और राज्यों में सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके जिससे सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके।

(iv) पढ़ो–परदेशः विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान करने की योजना ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

(v) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना उच्चतर शिक्षा जैसे एम.फिल और पी. एच.डी. प्राप्त करने के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(vi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित करता हैः–

(क) कक्षा XI और XII में अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
(ख) गरीब नवाज रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

आर्थिक सशक्तिकरण

(i) **कौशल विकास**

(क) सीखो और कमाओ (Learn & Earn): यह अल्पसंख्यकों के लिए एक कौशल विकास पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशलों में अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों को उनकी अर्हता, वर्तमान आर्थिक रूझानों और बाजार संभावनाओं पर निर्भर करते हुए उन्नत बनाना है जिससे कि उन्हें समुचित रोजगार मिल सके अथवा वे स्व–रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल हो सकें।

(ख) विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद): इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों और दस्तकारों की क्षमता का निर्माण करना और पारंपरिक कौशल को अद्यतन करना; अल्पसंख्यकों की अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन; पारंपरिक कौशलों के लिए मानक स्थापित करना; मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से विभिन्न अभिज्ञात

पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण देना; राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना; और लुप्त हो रही कलाओं/शिल्पों का संरक्षण करना है। कुशल दस्तकारों और शिल्पकारों को बाजार और अवसर मुहैया कराते हुए हुनर हाट नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

(ग) नई मंजिलः अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की ऋण योजनाएं जो अधिसूचित अल्पसंख्यकों में 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्व–रोजगार और आय सृजन क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण प्रदान करती हैं।

(iii) बैंकों द्वारा प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण

<u>अवसंरचना सहायता</u>

इसके अतिरिक्त, एक और योजना है अर्थात् प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असंतुलन कम हो सके। इस योजना के अधीन शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर फोकस किया जाता है जिनके लिए 80% संसाधन आबंटित किए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अधीन और कौशल विकास के लिए अनुमोदित मुख्य परियोजनाओं में आवासीय स्कूल, स्कूली भवन, बालिका छात्रावास सहित छात्रावास, शौचालय और पेयजल सुविधाएं, सद्भाव मंडप, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पोलिटेक्निक आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि में लक्ष्यित समूहों जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

(घ) जी हां। सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों नामतः जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम और ईसाई के छात्रों को 3.18 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इनमें से लाभार्थियों का 50% से अधिक **छात्राएं** हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इन केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्तियों के अधीन लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसमें 50% से अधिक **छात्राएं** शामिल होंगी। तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और 2015–16 से ये छात्रवृत्तियां पूरी तरह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में संवितरित की जा रही हैं ताकि कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके और छल–कपट को दूर करके तथा हेरा–फेरी को रोककर पारदर्शिता लाई जा सके।

*****

अनुलग्नक–I

अल्पसंख्यकों में बेरोजगारी पर 25.07.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5364 का अनुलग्नक।

2009–2010 (66वां दौर), 2011–12 (68वां दौर) और पीएलएफएस (2017–18) के दौरान विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में बेरोजगारी दर।

अखिल भारतीय						
प्रमुख धार्मिक समूह	सर्वेक्षण अवधि					
	2009–10	2011–12	2017–18	2009–10	2011–12	2017–18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ग्रामीण पुरुष			ग्रामीण महिलाएं		
हिंदू	1.5	1.7	5.7	1.4	1.4	3.5
इस्लाम	1.9	2.2	6.7	2.0	3.9	5.7
ईसाई	2.6	3.4	6.9	6.0	6.4	8.8
सिक्ख	2.7	1.3	6.4	1.7	1.3	5.7
	शहरी पुरुष			शहरी महिलाएं		
हिंदू	2.9	2.8	6.9	5.8	5.2	10.0
इस्लाम	2.5	3.8	7.5	6.8	4.4	14.5
ईसाई	2.2	4.4	8.9	4.6	8.8	15.6
सिक्ख	5.6	3.5	7.2	8.3	5.5	16.9
स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएसः 2017–18						

अनुलग्नक–II

व्याख्यात्मक टिप्पणीः

1. **<u>कामगार की परिभाषा (रोजगार–प्राप्त व्यक्ति):</u>** जो व्यक्ति संदर्भाधीन अवधि के दौरान किसी आर्थिक क्रियाकलाप में लगे हुए थे या जो आर्थिक क्रियाकलाप में उनके लगे हुए होने के बावजूद बीमारी, चोट या अन्य शारीरिक अक्षमता, खराब मौसम, त्यौहार, सामाजिक या धार्मिक समारोहों या अन्य आकस्मिकताओं के कारण अस्थायी रूप से कार्य से दूर रहे, कामगार की श्रेणी में आते हैं।

2. **<u>सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के कामगार की परिभाषा</u>** : सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामगारों की संख्या सामान्य मुख्य स्थिति (पीएस) और अनुषंगी स्थिति (एसएस) दोनों पर एक साथ विचार करते हुए प्राप्त की जाती है। सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामगारों में अग्रलिखित शामिल हैं (क) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों में अपेक्षाकृत लम्बे समय तक काम किया हो और (ख) शेष आबादी में से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख के पहले 365 दिनों की संदर्भाधीन अवधि के दौरान कम से कम 30 दिनों के लिए कार्य किया हो।

3. **<u>कार्य ढूंढना या कार्य के लिए उपलब्ध होना (या बेरोजगार):</u>** जिन व्यक्तियों ने काम की कमी के कारण काम नहीं किया हो परंतु जिन्होंने या तो रोजगार केंद्रों, मध्यस्थों, मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से या भावी नियोक्ताओं को आवेदन देते हुए काम ढूंढा हो या कार्य और परिलब्धियों की मौजूदा स्थितियों के अधीन काम के लिए अपनी इच्छा या उपलब्धता व्यक्त की हो, उन्हें 'काम ढूंढने वाले या काम के लिए उपलब्ध' (या बेरोजगार) समझा गया।

4. **<u>सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में बेरोजगार व्यक्ति</u>**: 365 दिनों की संदर्भाधीन अवधि के दौरान अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिए बेरोजगार रहे व्यक्तियों की संख्या को सामान्य मुख्य स्थिति या सामान्य स्थिति (पीएस) में बेरोजगार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तथापि, इस मापदंड के आधार पर बेरोजगारों में से कुछ लोग अनुषंगी क्षमता में काम कर रहे होंगे। इसलिए, जो व्यक्ति न तो पीएस में रोजगाररत हैं और न ही एसएस में रोजगाररत हैं परंतु काम के लिए उपलब्ध हैं (काम खोज रहे हैं या नहीं), उन्हें सामान्य स्थिति (पीएसए+एसएस) में बेरोजगार के रूप में परिभाषित किया जाता है।

बेरोजगारी दर (यूआर): $\frac{\text{बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}}{\text{रोजगार–प्राप्त व्यक्तियों की संख्या + बेरोगार व्यक्तियों की संख्या}} * 100$

5. **<u>परिवार का धर्म</u>**: परिवार के मुखिया का धर्म, जैसा कि सूचना देने वाले ने सूचित किया है, पूरे परिवार का धर्म माना गया, चाहे परिवार के अलग–अलग सदस्यों द्वारा वास्तव में किसी भी धर्म को अपनाया गया हो।

*****